

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— निरसंशि / संस्था—१ / रथाना० / २०१० / ३० १२२-१६६

जयपुर, दिनांक: २०.०९.२०१०

आदेश

निम्नांकित व्याख्याताओं के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित रथान पर स्वयं की मांग / प्रशासनिक दृष्टि से तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं—

क्र० सं०	नाम कार्मिक	पद	कहों से	कहों को	विविधो
1	डॉ० कमल किशोर सैनी	व्याख्याता (राजनीति विज्ञान)	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महापुर, जयपुर	राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर	रिक्त पद पर
2	श्री सीताराम गुर्जर	व्याख्याता (साहित्य)	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय बौली, सवाईमाधोपुर	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, तलाव गांव, लालसोट, दौसा	श्री जगदीश प्रसाद मीणा के स्थान पर
3	श्री जगदीश प्रसाद मीणा	व्याख्याता (साहित्य)	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तलावगांव लालसोट जिला दौसा	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय बौली, सवाईमाधोपुर	श्री सीताराम गुर्जर के स्थान पर
4	श्री ओम प्रकाश पाराशर	व्याख्याता (ज्योतिष)	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गनोड़ा बांसवाड़ा	राजकीय शास्त्री संस्कृत कॉलेज, तलावगांव, चौस्था	श्री कैलाश चन्द शर्मा के स्थान पर
5	श्री कैलाश चन्द शर्मा	व्याख्याता (ज्योतिष)	राजकीय शास्त्री संस्कृत कॉलेज, तलावगांव, दौसा।	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गनोड़ा जिला बांसवाड़ा।	श्री ओम प्रकाश पाराशर के स्थान पर
6	श्री महेन्द्र कुमार राजपुरोहित	व्याख्याता (राजनीति विज्ञान)	राजकीय दरबार संस्कृत कॉलेज, जोधपुर में व्याकरण पद के विरुद्ध कार्यरत	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय चौथका बरवाडा सवाई माधोपुर।	रिक्त पद पर
7	श्री महेश चन्द शर्मा	व्याख्याता (सामा.संस्कृत)	राजकीय महाराजा संस्कृत कॉलेज, जयपुर।	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर चूरु	पद सहित
8	श्री शिवनाथ मिश्र	व्याख्याता (हिन्दी)	राजकीय दरबार आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जनी मण्डी, जोधपुर में सामान्य संस्कृत पद के विरुद्ध कार्यरत	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गनोड़ा बांसवाड़ा	रिक्त पद पर
9	श्री सीताराम महावर	व्याख्याता (व्याकरण)	राजकीय शास्त्री संस्कृत कॉलेज, तलावगांव, दौसा	राजकीय शास्त्री संस्कृत कॉलेज, चौथवाडी जयपुर।	रिक्त पद पर

- क्रम संख्या ३,५,६,७,८ एवं ९को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। शेष मामलों में स्थानान्तरण स्वयं के आवेदन / स्वेच्छा से होने के कारण उन्हें यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं होगा बल्कि वास्तविक यात्रा समय ही दिया जायेगा।
- उक्त आदेश प्रसारित होने से पूर्व जिन व्याख्याताओं के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय से यथास्थिति के आदेश हैं, उन पर उक्त आदेश लागू नहीं होगें।

निदेशक,

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- निसंशि / संस्था-१ / स्थाना० / २०१० / ३०१२२-१६६

जयपुर, दिनांक: २०.०९.२०१०

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मान० संस्कृत शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, मान० संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री राजस्थान सरकार
3. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित प्राचार्य
5. संबंधित कार्मिक
6. व्यवित्तगत पंजिका/रक्षित

— — — — —  
संयुक्त निदेशक,  
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

(१५०)